



ओवरलेक मेडिकल सेंटर को अपना स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता चुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं कि सेवाओं के लिए रजिस्टर कराने से लेकर आपके रोगी खाते का समाधान हो जाने तक, हमारे साथ आपका अनुभव यथा संभव सुखद रहे। हम मानते हैं कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्राप्ति के साथ वित्तीय कठिनाइयां हो सकती हैं और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी सहायता के लिए हम कुछ कार्यक्रम पेश करते हैं। हम वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं जो हमारे कार्यक्रमों से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर खुशी-खुशी देते हैं और आपके लिए सर्वोत्तम कार्यक्रम के लिए आवेदन करने हेतु आपकी मदद कर सकते हैं।

शौघ भुगतान छूट कार्यक्रम (प्रॉम्प्ट पे डिसकाउंट प्रोग्राम)

यह कार्यक्रम केवल चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक ऐसी सेवाओं के लिए उपलब्ध है जिनके लिए बीमा कवरेज नहीं है। यह कार्यक्रम ऐसे रोगियों के लिए भी लागू है जो किसी चिकित्सा बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र तो हैं पर उनके पास बीमा कवरेज नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी लाभ सीमाओं का अधिकतम उपयोग कर लिया है। पहले बिल विवरण (बिलिंग स्टेटमेंट) की तिथि से 30 दिनों के अंदर ओवरलेक मेडिकल सेंटर और/या ओवरलेक मेडिकल क्लीनिकों को संपूर्ण शेष का भुगतान कर दिए जाने पर रोगी को कुल खाता प्रभार पर 30% की छूट दी जाती है। कृपया वित्तीय सलाहकार से 425.688.5655 पर संपर्क करें या छूट प्राप्त करने हेतु व्यवस्थाएं करने के लिए कृपया 425.688.5299 कॉल करें।

विस्तारित भुगतान योजना कार्यक्रम (एक्सटेंडेड पेमेंट प्लान प्रोग्राम)

हम एक ब्याज मुक्त भुगतान योजना स्थापित करने के लिए आपके साथ खुशी-खुशी कार्य करते हैं। वास्तविक मासिक भुगतान और अनुबंध की अवधि आपके बकाया शेष पर निर्भर करेगी। सभी भुगतान योजनाओं में आपके लिए अनुबंधित समय-सारणी और ओवरलेक के वित्तीय सलाहकारों द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर मासिक भुगतान करना आवश्यक होता है। भुगतान योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए कृपया 425.688.5299 पर कॉल करें।

वित्तीय सहायता कार्यक्रम (फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम)

यह कार्यक्रम बीमा कंपनी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद आपके दावे के रोगी उत्तरदायित्व अंश के साथ या जब कोई बीमा लाभ उपलब्ध न हों तब, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। सेवा के

समय आपकी विशिष्ट वित्तीय स्थिति के आधार पर, आप आपके खाते पर देय शेष पर 65% से 100% की छूट के योग्य हो सकते हैं। छूट की राशि, आपके देय शेष के साथ संयोजन में संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों के प्रतिशत के रूप में आपकी आय पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम हेतु आवेदन करने के लिए, आपको सेवाएं प्रदान कर दिए जाने के बाद और/या जैसे ही आप अपने वित्तीय उत्तरदायित्व से अवगत हों तब, आपको वित्तीय सहायता आवेदन (फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस एप्लिकेशन) का अनुरोध करके उसे पूर्ण करना होगा। आवेदन में आपको अपनी आय की जानकारी देनी होगी और ओवरलेक हॉस्पिटल एसोसिएशन के पास आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य देखभाल संबंधी ऋण (क्रेडिट) जाँच (जो आपकी क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित नहीं करती है) करने का अधिकार सुरक्षित है। इस कार्यक्रम की अधिक विस्तृत व्याख्या के लिए या आवेदन का अनुरोध करने के लिए कृपया 425.688.5299 पर कॉल करें। वित्तीय सहायता केवल अन्य सभी भुगतान विकल्प, जिनमें डीएसएचएस एवं तृतीय-पक्ष दायित्व मामले (उदा. ऑटो या अन्य दुर्घटना कवरेज) शामिल हैं, प्राप्त हो जाने के बाद लागू होती है।